

प्रवेश परीक्षा परिषद, अधिविधिक शिक्षा निदेशालय एवं अधिविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य को कोई काद टावर किया जाता है तथा टावर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को कानूनी होती।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायन-द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कानूनीकरण प्रारंभ होने के पूर्व पीसीसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्थित कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कानूनीकरण के अभाव में अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, बरतन, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, उपस्थान शुल्क आदि का विवरण उपस्थित कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधनरत उपस्थित कराने के साथ रेगिन रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परराष्ट्रिय संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्थित कराये गये अभिलेख, भूमि-अवतन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निर्देशन टोलन यदि संस्था में भूमि, अवतन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0आई0टी0टी0पी0आई0आई0आई0 परिषद के मानकानुसार उपस्थित नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा वाली का उपस्थान किये जाने की विधिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राविप/परीषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE OF POLYTECHNIC, BAHERI, BAREILLY, UTTAR PRADESH, 243205 (OLD NAME- D S R COLLEGE OF POLYTECHNIC, PIPRANKA, BAHERI, BAREILLY)



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्नलिखित कार्रवाई के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित विधि/नियम/अधिनियम/कारणदेश/निर्देश एवं निर्देशक, पब्लिक रिला, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा पब्लिक रिला परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0ओपी0पी0सी0ओपी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पब्लिक रिला परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पब्लिक रिला निदेशालय एवं पब्लिक रिला विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद टायर किया जाता है (या टायर वाद के संस्था में आ-उत्पादनय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है) तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0ओपी0पी0सी0ओपी0आइ0 से अनुमोदन वापस कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के आरम्भ से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीपी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, रक्षा, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ इंग्लिश टोन्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पर्यटन को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिसूचना, भूमि-अवकाश, कमीटर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यटन के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बन्धित समस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवकाश, प्रयोगवाता, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0ओपी0पी0सी0ओपी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित समस्त कर टी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचासनुसार अनुसन्धानकार्य कार्यवाही की जायेगी।


(एच0आर0 धार)

सचिव

एच0ओ- सचिवपरिषद सम्बन्धित2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

पतिनिधि-

एच0आर0निर्देशक, SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE OF POLYTECHNIC


(एच0आर0 धार)

सचिव

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या - प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001****लखनऊ दिनांक: 12-09-2023****:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2253-SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE OF POLYTECHNIC			
क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	45	45
2	ELECTRICAL ENGINEERING	45	45
3	ELECTRONICS ENGINEERING	45	45
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	45	45
5	MECHANICAL ENGINEERING	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसू.3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-20999/2022 टीसी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित क्षमता संस्थानों को जीए के डिप्लोमा तकनीकी विद्यालय में पंजीय दि० संविधान संख्या 5027/2023 में भारतीय विद्यालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संघट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संसद के अनुक्रम संसदन में संसद संसदन (पुमि, धरम, लैव उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकर 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, कोडरवा विनियमवली-2019 तथा संसद-संघट पत्र निर्मित साक्षात्कारों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश कार्यालय में दाख किये जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सहा-संघट पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले साक्षात्कार प्रणाली होगे, और उद्देश्य साक्षात्कार किये जाय अनुपालन होगा। प्राविधिक शिक्षा समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किये जाता है, तो प्रवेश को नवीनतम ट्रे लेना होगी।
- ✓ संसद में शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आदिष्टित करती को ही प्रवेश दिए जायेगा।

- ✓ संसद को समय-समय पर निर्णित बजट-बोरेस के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता चुक कराना होगा।
- ✓ संसद उतर प्रदेश सभस द्वारा निर्णित विधिनियमों/अधिनियमों/राज्यबोरेस/निदेशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनये गये नियमों, विधिनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये साधककारी है।
- ✓ यदि संसद का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यी कानुनिक और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संसद उत्तराखण्ड संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संसद सदा उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सभस के विरुद्ध यदि कोई कानून किया जाता है तथा कानून कानून के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्णित किया जाता है तो सभस प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदओं को संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सभस द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कानुनिक संधि होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यी कानुनिक और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्णित नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना साधककारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुपरानु बोरेस पर संसद की सभस सुचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक सूची भूमि, स्टाफ, सार-सभस, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला चुक, सारासत चुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कालांतर उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में संसद आदेशकक बदला सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिती के संसद उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समीक्षा और उपसमीक्षा) संसदओं का सम्बद्ध किया जाय) विधिनियमों, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारी, भवन और कर्मचारी को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिये परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संसद के अंतर्गत राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संसद में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार-सभस 20-अधिनियमों/राज्यी कानूनिक और इंडिया/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनसकक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्राधानाचार्य/निदेशक, SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE OF POLYTECHNIC



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव